न्यायालय मुंसिफ, डुमरॉव, बक्सर।

टी0 एस0— 89/2015

14.11.2022

उभय पक्ष की हाजिरी दी गयी। वादी द्वारा एक प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन प्रचालित किया गया। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 8 रामदेव यादव की मृत्यु दिनांक— 20.06.2021 को होने के बाद उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापन करने हेतु दिया गया है।

प्रतिवादी की ओर से अपने प्रतिउत्तर में प्रतिवाद किया है कि वादी द्वारा प्रतिवादी सं0—8 रामदेव यादव के जिन विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने का निवेदन किया उसमें वादी ने मृत प्रतिवादी की पत्नी कुसुम देवी जो अभी जिन्दा है को पक्षकार नहीं बनाया है तथा यह भी प्रतिवाद किया है कि प्रतिस्थापन आवेदन विहित समय—सीमा के अन्दर दाखिल नहीं किया गया है। अतः विलम्ब के लिए वादी पर भारी खर्चा अधिरोपित किया जाय।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन समय—सीमा के अंदर नहीं है। अतः न्ययहित में वादी द्वारा दाखिल दिनांक—22.07.2022 के साथ दिनांक—14.11.2022 के आवेदन जिसमें वादी के द्वारा मृत प्रतिवादी की पत्नी कुसुम देवी को पक्षकार के रूप में जोड़ने का निवेदन किया है को विलम्ब के लिए मो0 500/— रूपया खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि मुदालय रामदेव यादव का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम आवेदनानुसार प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक—03.01..2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

Sd/-

मुंसिफ, डुमरॉव